6 set

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

स्वामी विवेकानंद मार्ग, मेनरोड जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) फोन नं. 07817-222033 (DEO) फोन नं. 07817-222004 (RMSA)

क्रमांक /अशास.संस्था/अनुमति/मान्यता/2015–16/ 10466

प्रति

जांजगीर, दिनांक 21/01/2016

प्राचार्य/प्रधानपाठक/संस्था प्रमुख

अशासकीय विद्यालय विवेकानंद पब्लिक स्कूल बनारी (जांजगीर)

विकासखण्ड नवागढ़ (अंग्रेजी माध्यम)

जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

विषय :– बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिए बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उपनियम 4 के तहत विद्यालय के नियम मान्यता प्रमाण पत्र ।

आपका आवेदन पत्र दिनांक 14.1.16 के संदर्भ में एतद विषयक विद्यालय के पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत मैं विवेकानंद पब्लिक स्कूल बनारी (जांजगीर) (विद्यालय का नाम पता सहित) को कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए सत्र 2016-17 हेतु अस्थाई मान्यता प्रदान करता हूं । उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अधीन है :–

1. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी भी प्रकार से कक्षा आठवीं के बाद से संबंधित नहीं है ।
2. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर 1 व 2) विद्यालय के लिये बंधनकारी होगा ।
3. विद्यालय, पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा पहली की दर्ज संख्या के 25 प्रतिशत तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा ।
4. परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12 (2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जायेगी । ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उपलब्ध करायेगा ।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी केपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चें का या उसके माता–पिता पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित करेगा ।
6. विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा ।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि –
   - प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोगा नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा ।
   - किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी ।
   - किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है ।
   - कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश करेगा।
   - शिक्षक कानून के खण्ड 23 (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता सहित नियुक्त किये जाते है । 5 वर्ष की समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यतायें प्राप्त करेंगे ।
   - शिक्षको को देय वेतन और भत्ते उनकी सेवा नियम व शर्ते कानून के खण्ड 23 (3) के उद्देश्य के लिए नियम 18 के उप नियम (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित होगा ।
8. विद्यालय उपर्युक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा ।
9. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यलय में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा ।

e 31-03-2015\OFFICE 2014\Pravila School 2014-15\Prapatra ANUMATI MANYATA.doc

क्र....]

10. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में विशिष्टीकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाये रखेंगे । अंतिम निरीक्षण के समय प्राप्त सुविधायें निम्नानुसार है –

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
- खेल के मैदान का क्षेत्रफल
- अध्यापन कक्षाओं की संख्या
- प्रधानपाठक सह कार्यालय सहभण्डार हेतु कक्ष
- बालको और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
- पेयजल सुविधा
- मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु किचन
- बाधारहित पहुंचमार्ग
- शिक्षण अधिगम सामाग्री
- खेलकुद के उपकरण
- पुस्ताकलय की संख्या

11. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय मे बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायेगा

12. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यावहारिक या आवासीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है ।

13. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्त 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा किसी कानून के तहत समयावधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है ।

14. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही किया जायेगा ।

15. लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिये और चार्टड एकाउटेंट में प्रमाणित कराया जाना चाहिये और नियमानुसार एकाउण्ट स्टेटमेंट तैयार किया जाना चाहिये । एकाउण्ट स्टेटमेंट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना होगा ।

16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता नम्बर .... है । इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में इसे अंकित करना होगा ।

17. विद्यालय समय–समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारियों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तो की सतत् पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है ।

18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनकरण आवश्यकतानुसार को सुनिश्चित किया जाये ।

19. अन्य शर्त एनकेसर 3 के अनुसार संलग्न है ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जांजगीर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

क्रमांक /अशास.संस्था/अनुमति/मान्यता/2015–16/10467
जांजगीर, दिनांक 21/01/2016

प्रतिलिपि –

1. कलेक्टर जांजगीर–चांपा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर–चांपा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग जांजगीर को सूचनार्थ प्रेषित ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जांजगीर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

-03-2015\OFFICE 2014\Pravite School 2014-15\Prapatra ANUMATI MANYATA.doc